न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम–शिवचरण शर्मा , आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–4/2020 (2020/00020)

दर्ज तिथि–21/02/2022

प्रार्थी

1. महादेव पुत्र सूज्या जाति मीना निवासी ग्राम फिल्सन बिहारीपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर
2. भैंरूलाल पुत्र कानाराम
3. गोपाल पुत्र पांचूराम
4. छीतर पुत्र भोलू

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम फिल्सन बिहारीपुरा, तहसील बस्सी जिला जयपुर।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी सत्यमेव जयते जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर. एक्ट, 1956

निर्णय

दिनांक 21/02/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 ,111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर प्रार्थी की खातेदारी एवं काश्त की भूमि खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/3 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम फिल्सन बिहारीपुरा, पटवार क्षेत्र मानसर खेड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी, प्रार्थी तहसीलदार बस्सी द्वारा किये गए सीमाज्ञान दिनांक 19/07/2019 से प्रार्थी संतुष्ट नहीं है। अतः पत्थरगढी एवं तारफेन्सिग मय जाप्ता थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता की उपस्थिति में करवाये जाने का आदेश चाहा है प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1 एवं 2 हाजिर। अप्रार्थी सख्या 3 एवं 4 भी सम्यक तामिल जरिये रजि.डाक हो चुकी है। उसके उपरान्त भी जवाब पेश नहीं। अतः अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 1 सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी का जवाब प्राप्त हो चुका है। जो शामिल पत्रावली रहे। प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब पूर्व में प्राप्त हो चुका है। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को सुना गया। दौराने बहस जाहिर तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजियात का दर्ज रिकार्ड खातेदार काश्तकार है

उप खण्ड अधिकारी

जिसका पूर्व मे सीमज्ञान दिनांक 19/07/2019 को हो चुका है जिस पर प्रार्थी संतुष्ट नहीं होना जाहिर किया है। जबकि पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे पत्थरगढी की जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी भूमि की पैमाइश करवाने की प्रार्थना के साथ प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

आदेश

तहसीलदार बस्सी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को सूचित करते हुऐ खसरा खसरा नम्बर 55/3 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 62/3 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम फिल्सन बिहारीपुरा, पटवार क्षेत्र मानसर खेडी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बस्सी तहसील बस्सी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की विवादित भूमि की पत्थरगढी धारा 128 एवं 111 भू-राजस्व अधिनियम के प्रावाधानो से करने हेतु नायब तहसीलदार बस्सी की अध्यक्षता में एक गिरदावर चार पटवारियान की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौके पर कानुन व्यवस्र्थात पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो पुलिस थाना बस्सी से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नियमानुसार करें। आदेश की प्रति तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ भेजी जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 21/02/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी
सत्यमेव जयते
जिला जयपुर

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)